संख्या-2-ई. एम. /2001- का-4- 200

प्रेषक,

डी0 के0 वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ : दिनाँक : अप्रैल 26 , 2002

विषय:- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद , उ0प्र0 के वार्षिक अधिवेशन / चुनाव में भाग लेने हेतु दिनाँक 18 मई, 2002 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 द्वारा दिनाँक 18 एवं 19 मई, 2002 को लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन/ चुनाव का आयोजन किया जा रहा है । उक्त अधिवेशन में परिषद से सम्बद्ध विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जायेगा ।

2. उपर्युक्त के संबंध में, यह कहने का मुझे निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा उक्त अधिवेशन/ चुनाव हेतु दिनाँक 18 मई, 2002 को सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है , अतः उक्त अधिवेशन/ चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0 के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।

संख्या-2-ई. एम. /2001-(11)-का-4-2002, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. श्री अमरनाथ यादव, महामंत्री , राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0, 129-ए-दारूलशफा, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(डी[illegible] वर्मा)
विशेष सचिव ।